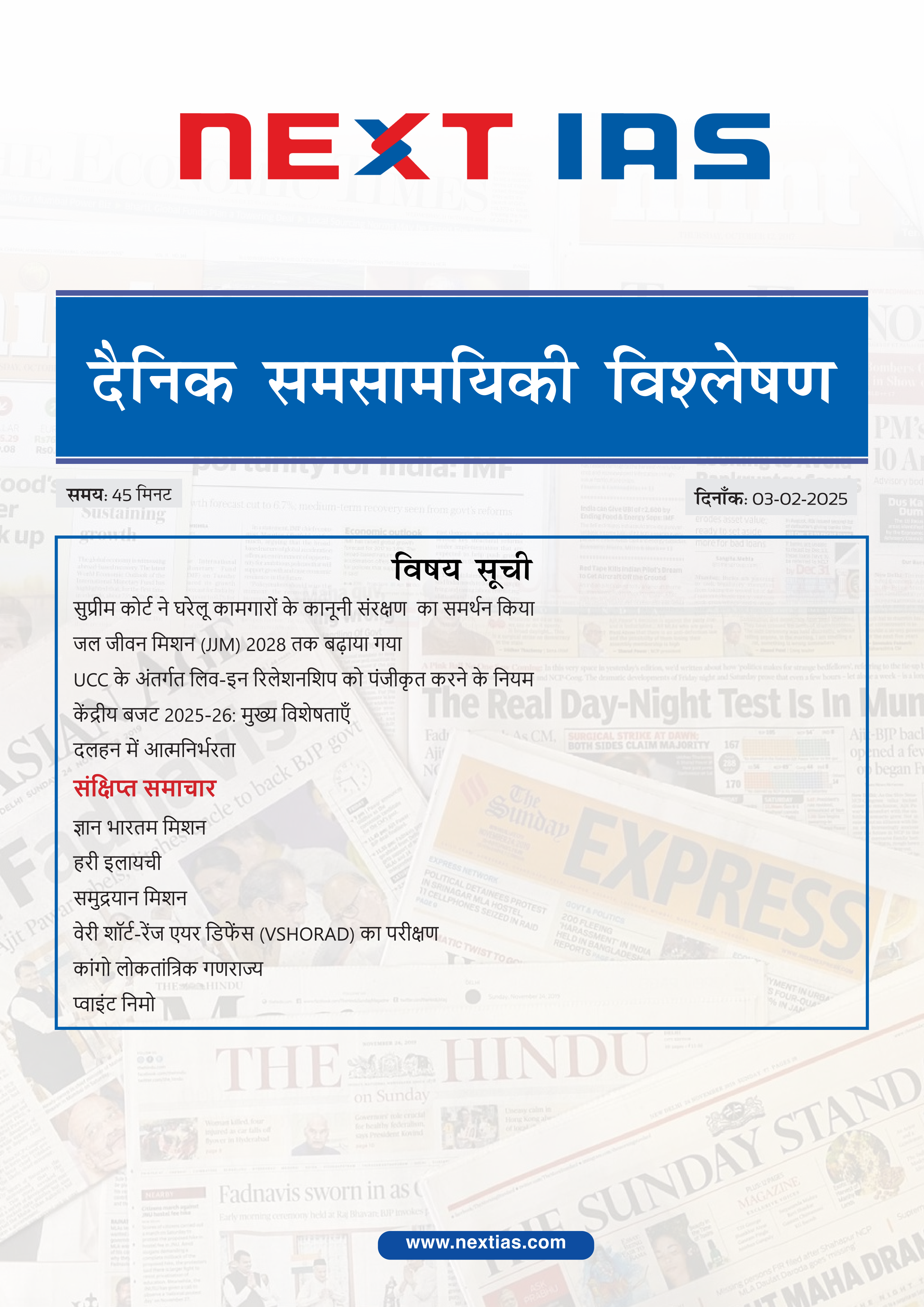

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 03-02-2025

विषय सूची

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के कानूनी संरक्षण का समर्थन किया

जल जीवन मिशन (JJM) 2028 तक बढ़ाया गया

UCC के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के नियम

केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य विशेषताएँ

दलहन में आत्मनिर्भरता

संक्षिप्त समाचार

ज्ञान भारतम मिशन

हरी इलायची

समुद्रयान मिशन

वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) का परीक्षण

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

प्वाइंट निमो

सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के कानूनी संरक्षण का समर्थन किया

समाचार में

- एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता की जाँच करने का निर्देश दिया है।
  - न्यायालय ने उनके लाभ, संरक्षण एवं अधिकारों के विनियमन के लिए कानूनी ढाँचे का आकलन करने और सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के गठन का आदेश दिया है।

घरेलू कामगारों की वर्तमान स्थिति

- **परिचय:**
  - लाखों घरों में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम सहित कई श्रम कानूनों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है।
  - यद्यपि कुछ राज्यों ने नियमन पेश किए हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला कोई राष्ट्रीय स्तर का कानून नहीं है।
- **भेद्यता और शोषण:**
  - घरेलू कार्य एक नारी-केंद्रित व्यवसाय है, जिसमें कार्य करने वालों में से एक बड़ा भाग हाशिए के समुदायों की महिलाएँ हैं।
  - कर्मचारियों को कम वेतन, रोजगारो की असुरक्षा और अतिरिक्त वेतन के बिना कार्य के भार में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।
  - सामाजिक सुरक्षा उपाय लगभग न के बराबर हैं, जिससे कर्मचारी वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - घरेलू कार्य को सामाजिक रूप से कम आंका जाता है और इसे एक अंतर्निहित कौशल के रूप में माना जाता है जो सभी महिलाओं के पास होना चाहिए, जो इसे अदृश्य बनाता है तथा मान्यता की कमी में योगदान देता है।

चुनौतियाँ और न्यायिक हस्तक्षेप

- **आई.एल.ओ. कन्वेंशन 189:** भारत ने घरेलू कामगारों के अधिकारों पर इस वैश्विक मानक की पुष्टि नहीं की है, जो उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और दुर्व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है।
- **प्लेसमेंट एजेंसियों पर न्यायिक आदेश:** उच्चतम न्यायालय ने पहले प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण का निर्देश दिया था, लेकिन प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है, जिससे श्रमिक असुरक्षित हैं।
- **जटिल रोजगार संरचनाएँ:** घरेलू कार्य कई रूपों में मौजूद है - अंशकालिक, पूर्णकालिक, जिससे मानकीकृत सुरक्षा को लागू करना मुश्किल हो जाता है।

समावेशी कानून की आवश्यकता

घरेलू कामगारों की विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए उनके लिए एक पृथक कानून आवश्यक है:

- **रोजगार का प्रमाण:** कानूनी सुरक्षा लागू करने के लिए रोजगार के औपचारिक दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसे वर्तमान में श्रमिकों के लिए प्राप्त करना मुश्किल है।

- **नियोक्ता प्रतिरोध:** कई नियोक्ता स्वयं को "नियोक्ता" के रूप में नहीं पहचानते हैं या अपने घरों को औपचारिक कार्यस्थल के रूप में मानते हैं।
- **शक्ति असंतुलन:** असममित नियोक्ता-कर्मचारी संबंध - जहाँ नियोक्ता का निजी स्थान श्रमिक का कार्यस्थल है - निगरानी और विनियमन को सीमित करता है।

कार्यान्वयन में अवसर और चुनौतियाँ

- **मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करना:** एक सुव्यवस्थित कानून न्यूनतम मजदूरी स्थापित कर सकता है, कार्य के घंटों को विनियमित कर सकता है, तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जिससे घरेलू कामगारों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
- **शक्ति पदानुक्रम को पुनः परिभाषित करना:** कानूनी सुरक्षा मौजूदा शक्ति गतिशीलता को चुनौती देगी तथा घरेलू कार्य और देखभाल के कार्य के मूल्य को पहचानेगी।
- **क्षेत्रीय विचार:** केरल और दिल्ली जैसे राज्यों ने घरेलू कामगारों के लिए उपाय लागू किए हैं, जो राष्ट्रीय कानून के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं।
- **प्रवर्तन में चुनौतियाँ:** नए कानून के साथ भी, प्रभावी कार्यान्वयन एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए मजबूत निगरानी तंत्र और नियोक्ता की जवाबदेही की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- उच्चतम न्यायालय का निर्देश घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून की वकालत करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। हालाँकि अकेले कानून से कार्य करने की स्थितियों में तुरंत परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन यह उनके अधिकारों को मान्यता देने, उचित वेतन सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक आवश्यक पहला कदम है। वास्तविक प्रभाव समिति की सिफारिशों और सार्थक सुधारों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।

Source: IE

जल जीवन मिशन (JJM) 2028 तक बढ़ाया गया

समाचार में

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।
    - हालाँकि, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमान (RE) चरण में इस योजना के आवंटन में भारी कटौती देखी गई।

परिचय

- 2019 में प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करते हुए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना था। हालाँकि, कार्यान्वयन चुनौतियों के कारण, समय सीमा अब 2028 तक बढ़ा दी गई है।

- अब ध्यान "जनभागीदारी" (लोगों की भागीदारी) के सिद्धांत के तहत गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे, सतत संचालन और समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन की ओर है।

JJM की मुख्य विशेषताएँ

- **उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीति:**
  - **सार्वभौमिक पाइप जल पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का जल पहुँचे।
  - **सामुदायिक भागीदारी:** ग्राम जल और स्वच्छता समितियाँ (VWSC) या जल समितियाँ महिलाओं की 50% अनिवार्य भागीदारी के साथ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **राज्य की भागीदारी:** राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थिरता और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं।
  - **प्रशासनिक ढाँचा:**
    - **नोडल मंत्रालय:** पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय।
    - **पृष्ठभूमि:** JJM ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) को अपने में समाहित कर लिया।
  - **वित्त पोषण पैटर्न:**
    - हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10।
    - केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण।
    - अन्य राज्यों के लिए 50:50।

वर्तमान प्रगति एवं बजटीय आवंटन

- **2019 से अब तक की उपलब्धियाँ:**
  - 80% ग्रामीण परिवारों के पास अब पाइप से जल की सुविधा है, जो 2019 में 15% थी।
  - 12 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पीने के जल की सुविधा मिली है।
  - **100% कवरेज वाले राज्य:** अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिज़ोरम।
  - **100% कवरेज वाले केंद्र शासित प्रदेश:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, तथा पुडुचेरी।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी के मुद्दे:**
  - **शुरुआती "लो हैंगिंग फ्रूट(Low-Hanging Fruit)" दृष्टिकोण:** मौजूदा बुनियादी ढाँचे वाले क्षेत्रों में कवरेज का तेजी से विस्तार किया गया, लेकिन दूरदराज के गाँवों तक विस्तार करना मुश्किल सिद्ध हुआ।
  - **जलाशय से गांव तक पाइपलाइन:** कई गाँवों को दूर के जलाशयों से जल परिवहन की आवश्यकता होती है, जिससे लागत और रसद जटिलता बढ़ जाती है।
- **बाहरी कारकों के कारण लागत में वृद्धि:**

  - **कोविड-19 प्रभाव:** आपूर्ति शृंखलाओं और श्रम उपलब्धता में व्यवधान।
  - **रूस-यूक्रेन युद्ध:** उपकरण और सामग्री की लागत में वृद्धि, बजट पर दबाव।
- **कार्यान्वयन में अड़चनें:**
  - **धन का कम उपयोग:** बजट आवंटन के बावजूद, 2024-25 में ₹50,000 करोड़ व्यय नहीं किए गए, जो निष्पादन अक्षमताओं को उजागर करता है।

आगे की राह

- **अंतिम-मील कनेक्टिविटी को मजबूत करना:** दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विस्तार को प्राथमिकता देना।
  - जलाशय पंपिंग सिस्टम को अपग्रेड करना और पर्याप्त भूजल स्रोत सुनिश्चित करना।
- **बजट उपयोग में सुधार:** आवंटित धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय निष्पादन क्षमता को बढ़ाना।
  - मूल्य में उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए लचीला वित्तपोषण तंत्र।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** ग्रामीण घरों में वास्तविक जल आपूर्ति को मान्य करने के लिए स्वतंत्र सत्यापन तंत्र को लागू करना।
  - वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए प्रौद्योगिकी (IoT-आधारित निगरानी, GIS मैपिंग) का लाभ उठाना।
- **राज्य और केंद्र समन्वय:** देरी से बचने के लिए राज्यों द्वारा अपनी वित्तपोषण जिम्मेदारियों को पूरा करना सुनिश्चित करना।
  - सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समझौते।
- **सामुदायिक जुड़ाव और महिलाओं की भागीदारी:** जल प्रबंधन के स्थानीय स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए "जनभागीदारी" का विस्तार करना।
  - जल समितियों में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका बढ़ाना।

Source: TH

UCC के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के नियम

संदर्भ

- उत्तराखंड में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) ने लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के लिए विस्तृत नियमों का एक सेट प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य ऐसे रिश्तों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है।
  - हालाँकि, इसने महत्त्वपूर्ण परिचर्चाओं को भी उत्पन्न किया है और गोपनीयता एवं राज्य की निगरानी के बारे में चिंताएँ भी व्यक्त की हैं।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप का परिचय

- लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा, जिसमें दंपत्ति औपचारिक विवाह के बिना एक साथ रहते हैं, ने पिछले दो दशकों में भारत में कानूनी और सामाजिक मान्यता प्राप्त की है।

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज पारंपरिक मूल्यों में निहित रहा है, जहाँ विवाह ही प्रतिबद्ध रिश्ते का एकमात्र मान्यता प्राप्त रूप था।
  - लिव-इन रिलेशनशिप को प्रायः कलंकित माना जाता था और इसे सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था।
  - हालाँकि, वैश्वीकरण के प्रभाव और पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से लिव-इन रिलेशनशिप की स्वीकृति बढ़ गई है।

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता

- भारतीय न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से लिव-इन संबंधों को मान्यता दी है, मुख्य रूप से संविधान के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उदाहरण देते हुए।
- विभिन्न निर्णय:
  - **एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल (2010):** इसने निर्णय सुनाया कि लिव-इन संबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
  - **इंद्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013):** इसने लिव-इन संबंधों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के अंतर्गत विवाह जैसे संबंधों को मान्यता दी गई।
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर बल दिया है कि साथी चुनने और अंतरंग संबंध बनाने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (c) में निहित मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के दायरे में आती है।
- **घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 (PWDVA):** इसमें 'विवाह की प्रकृति के संबंध' शामिल हैं, जिससे घरेलू हिंसा का सामना करने वाली लिव-इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा मिलती है।
  - **डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल (2010)** में न्यायालय ने माना कि केवल विवाह की प्रकृति वाले रिश्ते ही घरेलू हिंसा कानूनों के तहत कानूनी संरक्षण के पात्र होंगे।
- **उत्तराधिकार और भरण-पोषण के अधिकार:** ऐसे मामलों में जहाँ दंपत्ति के बच्चे हैं, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चे कानूनी रूप से विवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चों के समान उत्तराधिकार के अधिकार के हकदार हैं।

UCC के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के नियम

- उत्तराखंड UCC लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। यह उत्तराखंड के निवासियों एवं भारत में कहीं और रहने वाले व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है।
- **पंजीकरण की आवश्यकताएँ:** UCC के अंतर्गत, लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले जोड़ों को अपने रिश्ते को प्रारंभ एवं समाप्त होने के दोनों चरणों में पंजीकृत करना होगा।
  - सहायक दस्तावेजों में आधार से जुड़ा OTP, पंजीकरण शुल्क और एक धार्मिक नेता से एक प्रमाण पत्र शामिल है जो जोड़े की शादी के लिए पात्रता की पुष्टि करता है यदि वे अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देना चाहते हैं।

- निषिद्ध रिश्ते: UCC अधिनियम 74 निषिद्ध रिश्तों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए 37-37 हैं। निषिद्ध रिश्तों की इन डिग्री के अंतर्गत आने वाले जोड़ों को धार्मिक नेताओं या समुदाय के प्रमुखों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि संबंध सार्वजनिक नैतिकता या रीति-रिवाजों के विरुद्ध है।

Note: For 'Arguments Favoring and Against: Live-in Relationships', please follow the link: https://www.nextias.com/ca/current-affairs/16-05-2024/daily-current-affairs-16-05-2024

प्रमुख चिंताएँ और प्रभाव

- **गोपनीयता की चिंता:** यह तर्क दिया जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ) में निहित गोपनीयता के अधिकार का व्यापक उल्लंघन है, क्योंकि इससे निजी जीवन पर राज्य की निगरानी बढ़ जाती है।
    - नए नियमों ने अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय संबंधों के लिए संभावित बाधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- **महिलाओं और बच्चों के अधिकार:** वर्तमान में, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएँ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 और PWDVA, 2005 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं।
- **दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण:** व्यक्ति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बिना ऐसे संबंधों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बाद में कानूनी अधिकारों का दावा करते हैं, जिससे कानूनी विवाद हो सकते हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ:** यह परिवार और विवाह की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है, और विशेष रूप से रूढ़िवादी समुदायों में लिव-इन रिलेशनशिप के उचित और नैतिक निहितार्थों के बारे में प्रश्न उठाता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- उत्तराखंड में UCC का उद्देश्य लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन यह गोपनीयता एवं राज्य के हस्तक्षेप के बारे में महत्त्वपूर्ण चिंताएँ भी उठाता है।
- रिश्तों को विनियमित करने और व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच संतुलन यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण होगा कि नए नियमों को इस तरह से लागू किया जाए जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे।
- अगर UCC व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेती है, तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है:
    - लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना।
    - विवाह में समान उत्तराधिकार और भरण-पोषण अधिकार प्रदान करना।
    - लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना, विशेष रूप से वैधता और उत्तराधिकार अधिकारों के संबंध में।

Source: TH

केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य विशेषताएँ

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2025-26 को "सबका विकास" थीम पर तैयार किया गया था, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास पर बल दिया गया था।
    - संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख 'वार्षिक वित्तीय विवरण' के रूप में किया गया है।

परिचय

- वित्त मंत्री ने जन-केंद्रित विकास के महत्त्व को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्री गुरजादा अप्पा राव की यह उक्ति उद्धृत की, "एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है; एक देश उसके लोग हैं।"
- विकसित भारत के सिद्धांत:
    - गरीबी उन्मूलन (शून्य-गरीबी)
    - उच्च-गुणवत्ता, सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना
    - सस्ती, व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना
    - कुशल कार्यबल के साथ पूर्ण रोजगार प्राप्त करना
    - आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल करना
    - भारत को "विश्व की खाद्य टोकरी" बनाने के लिए कृषि को मजबूत करना

बजट अनुमान 2025-26

- उधार के अतिरिक्त कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमशः ₹ 34.96 लाख करोड़ और ₹ 50.65 लाख करोड़ अनुमानित हैं।
- शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹ 28.37 लाख करोड़ अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधार ₹ 14.82 लाख करोड़ अनुमानित हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में ₹ 11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%) का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है।

विकास के प्रमुख इंजन

- **कृषि (प्रथम इंजन):** 100 जिलों को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना का शुभारंभ।
    - दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत 'तुअर, उड़द और मसूर दालों की खेती की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई। सब्जियों, फलों, उच्च उपज वाले बीजों और कपास की उत्पादकता के लिए व्यापक कार्यक्रम।

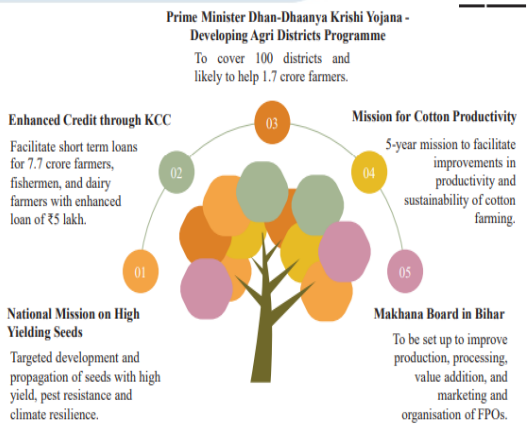
Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana - Developing Agri Districts Programme
To cover 100 districts and likely to help 1.7 crore farmers.
01
National Mission on High Yielding Seeds
Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience.
02
Enhanced Credit through KCC
Facilitate short term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers with enhanced loan of ₹5 lakh.
03
04
Mission for Cotton Productivity
5-year mission to facilitate improvements in productivity and sustainability of cotton farming.
05
Makhana Board in Bihar
To be set up to improve production, processing, value addition, and marketing and organisation of FPOs.

- **MSMEs (दूसरा इंजन):** MSME निवेश और टर्नओवर सीमा को 2.5 एवं 2 गुना तक बढ़ाया गया।
    - सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड तथा 5 लाख महिलाओं और हाशिए पर पड़े उद्यमियों के लिए ऋण योजना।
    - खिलौना विनिर्माण केंद्र का विकास तथा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।
- **निवेश (तीसरा इंजन):** स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएँगी।
    - भारतनेट परियोजना के अंतर्गत सभी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ब्रॉडबैंड।
    - कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना।
    - पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़।
    - शहरी विकास को समर्थन देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष।
    - निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार के लिए ₹20,000 करोड़।
    - शहरी नियोजन के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और पांडुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन।
    - **परमाणु ऊर्जा विस्तार:** छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के लिए 20,000 करोड़ रुपये।

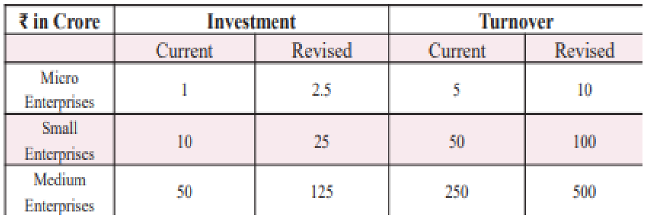

₹ in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

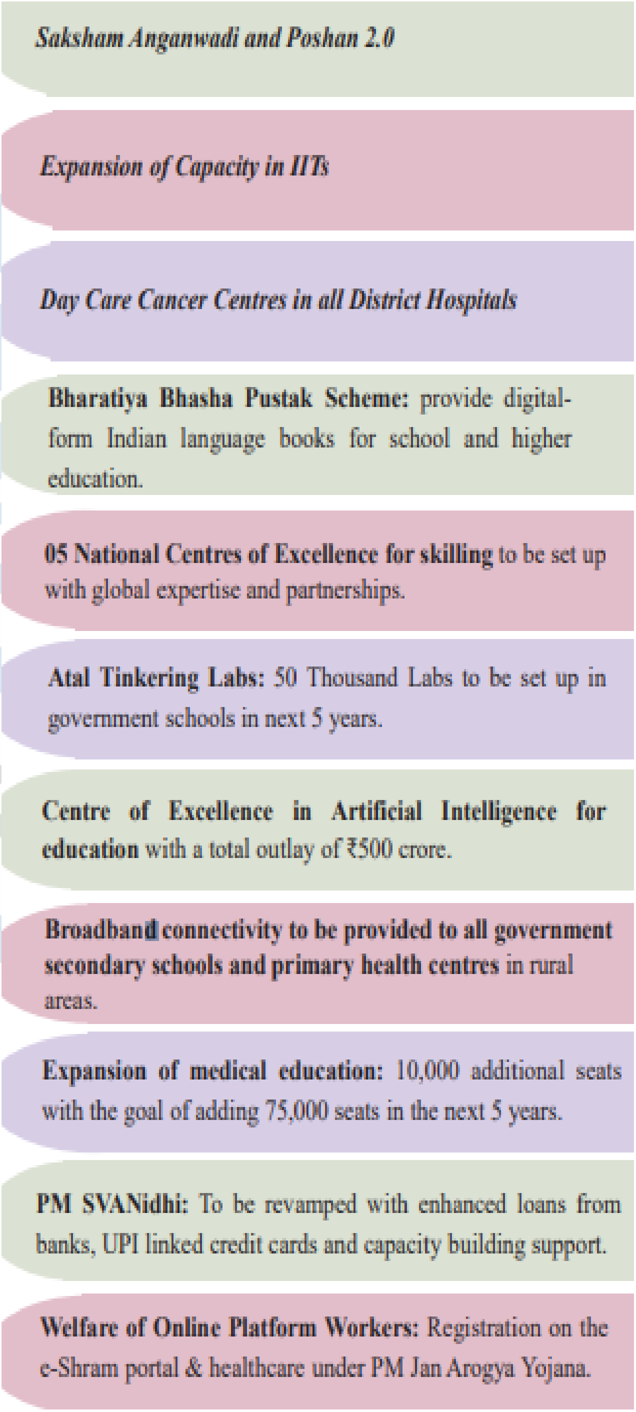

Saksham Anganwadi and Poshan 2.0

Expansion of Capacity in IITs

Day Care Cancer Centres in all District Hospitals

Bharatiya Bhasha Pustak Scheme: provide digital-form Indian language books for school and higher education.

05 National Centres of Excellence for skilling to be set up with global expertise and partnerships.

Atal Tinkering Labs: 50 Thousand Labs to be set up in government schools in next 5 years.

Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education with a total outlay of ₹500 crore.

Broadband connectivity to be provided to all government secondary schools and primary health centres in rural areas.

Expansion of medical education: 10,000 additional seats with the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years.

PM SVANidhi: To be revamped with enhanced loans from banks, UPI linked credit cards and capacity building support.

Welfare of Online Platform Workers: Registration on the e-Shram portal & healthcare under PM Jan Arogya Yojana.

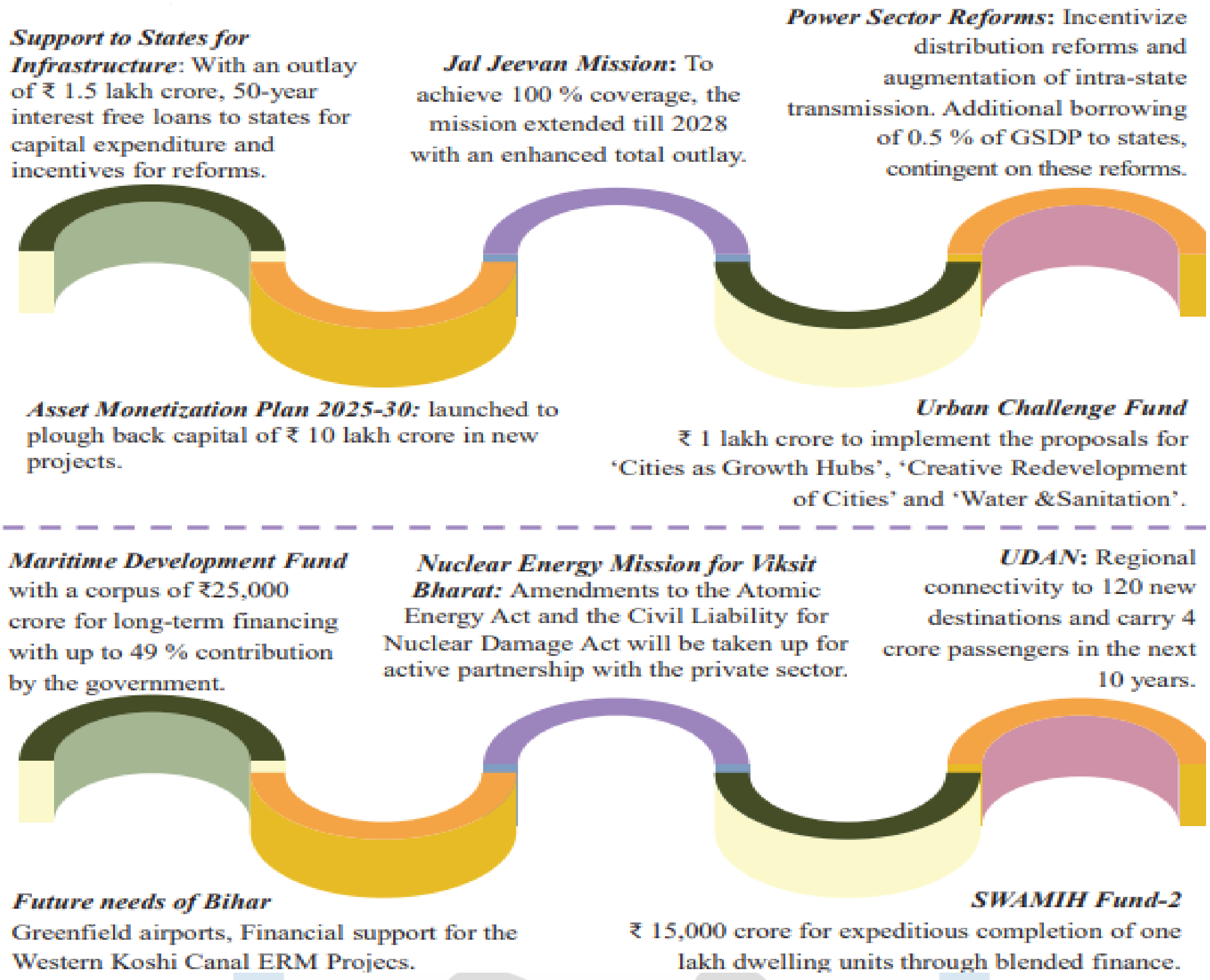

Support to States for Infrastructure: With an outlay of ₹ 1.5 lakh crore, 50-year interest free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms.

Jal Jeevan Mission: To achieve 100 % coverage, the mission extended till 2028 with an enhanced total outlay.

Power Sector Reforms: Incentivize distribution reforms and augmentation of intra-state transmission. Additional borrowing of 0.5 % of GSDP to states, contingent on these reforms.

Asset Monetization Plan 2025-30: launched to plough back capital of ₹ 10 lakh crore in new projects.

Urban Challenge Fund
₹ 1 lakh crore to implement the proposals for 'Cities as Growth Hubs', 'Creative Redevelopment of Cities' and 'Water &Sanitation'.

Maritime Development Fund with a corpus of ₹25,000 crore for long-term financing with up to 49 % contribution by the government.

Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat: Amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up for active partnership with the private sector.

UDAN: Regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.

Future needs of Bihar
Greenfield airports, Financial support for the Western Koshi Canal ERM Projecs.

SWAMIH Fund-2
₹ 15,000 crore for expeditious completion of one lakh dwelling units through blended finance.

- **निर्यात (चौथा इंजन):** व्यापार दस्तावेजीकरण के लिए निर्यात संवर्धन मिशन और भारत ट्रेडनेट का शुभारंभ।
  - घरेलू विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए समर्थन।
  - एयर कार्गो और मत्स्य निर्यात के लिए बुनियादी ढाँचा समर्थन।

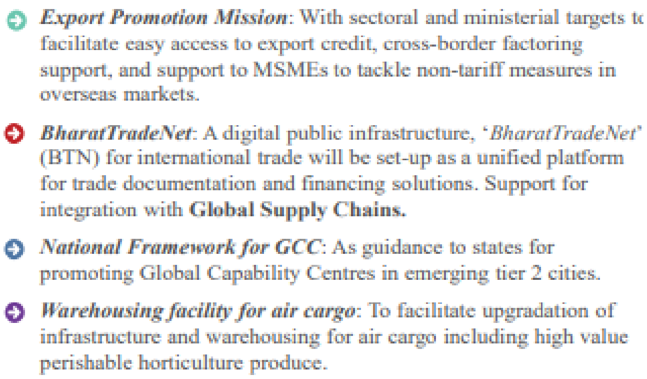

- ***Export Promotion Mission***: With sectoral and ministerial targets to facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
- ***BharatTradeNet***: A digital public infrastructure, '*BharatTradeNet*' (BTN) for international trade will be set-up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. Support for integration with **Global Supply Chains.**
- ***National Framework for GCC***: As guidance to states for promoting Global Capability Centres in emerging tier 2 cities.
- ***Warehousing facility for air cargo***: To facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo including high value perishable horticulture produce.

सुधार

- **वित्तीय क्षेत्र:** बीमा में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई।
  - विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना।
  - राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक की शुरूआत।
  - जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत 100 से अधिक प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण।
  - विनियमनों की समीक्षा के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)।

- **कराधान एवं राजकोषीय नीति:** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% राजकोषीय घाटा लक्ष्य।
    - 2025-26 के लिए प्राप्तियों और व्यय अनुमानों में वृद्धि।
    - स्पष्ट रोडमैप के साथ राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता।

कर प्रस्ताव:

- **व्यक्तिगत आयकर सुधार:** प्रति वर्ष ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
    - ₹12.75 लाख तक की आय पर ₹75,000 की मानक कटौती।
    - कर सुधारों के कारण ₹1 लाख करोड़ के राजस्व हानि की संभावना ।

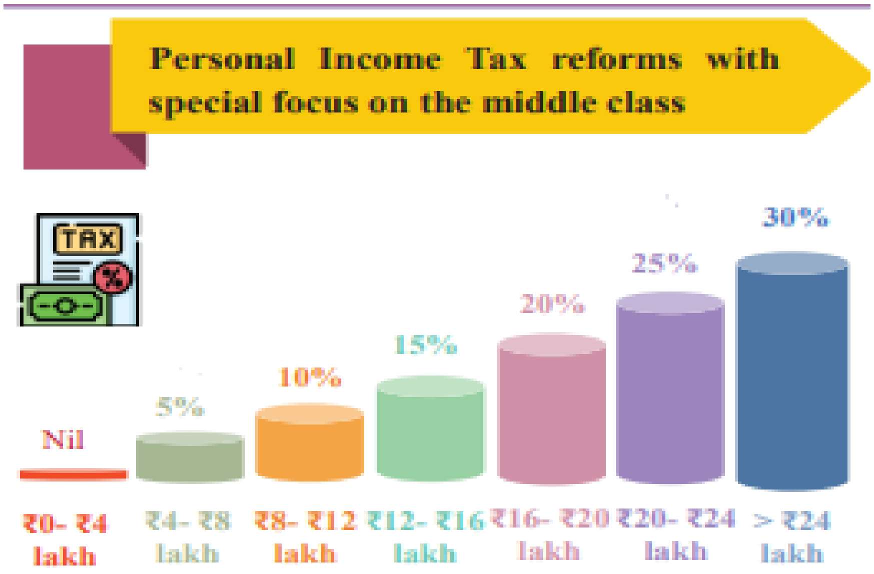

- **TDS/TCS युक्तिकरण:** वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख की गई।
    - किराए पर TDS सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई।
    - किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अवधि को 4 वर्ष तक बढ़ाया गया।
- **अनुपालन सरलीकरण:** छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए पंजीकरण अवधि को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया।
    - वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय बचत योजना की निकासी पर कर छूट का लाभ मिला।
- **रोजगार और निवेश को बढ़ावा:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनियों को सेवाएँ प्रदान करने वाले गैर-निवासियों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्था।
    - सॉवरेन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स में निवेश की समय-सीमा को 2030 तक बढ़ाया गया।
- **सीमा शुल्क टैरिफ सुधार:** सात टैरिफ को हटाना, उपकर को सरल बनाना, तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों और वस्त्रों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) में कमी करना।

  - लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण पूंजीगत वस्तुओं और जहाज निर्माण सामग्री पर BCD में कमी।

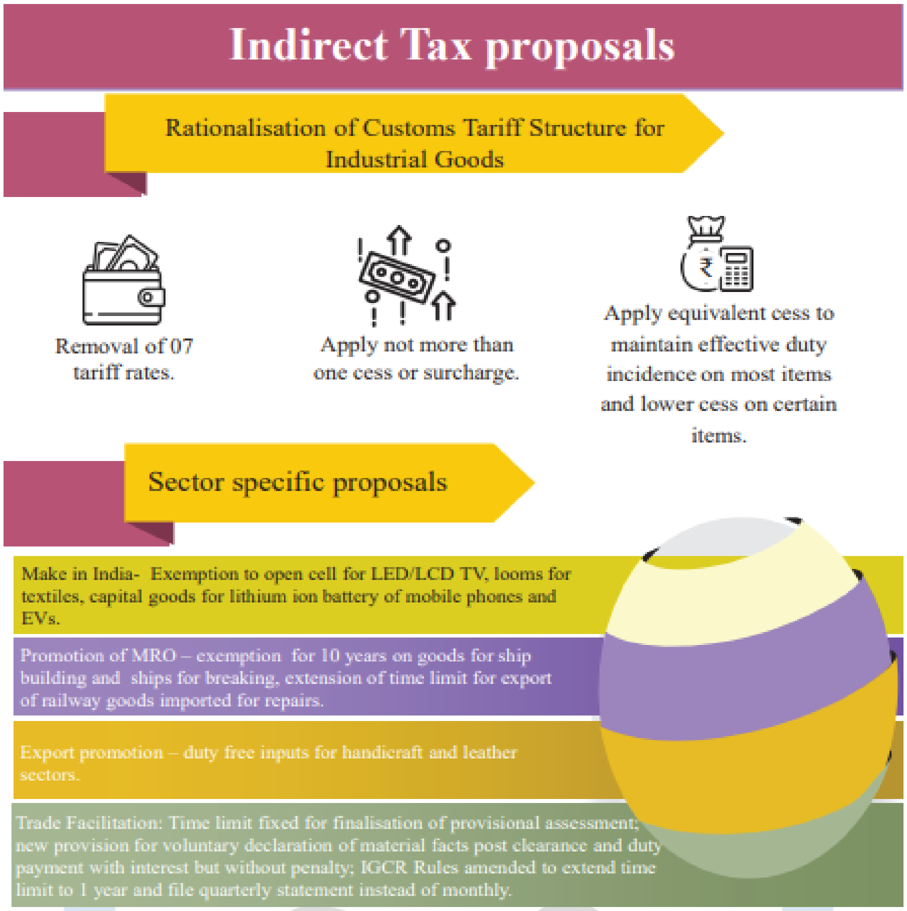

Indirect Tax proposals

Rationalisation of Customs Tariff Structure for Industrial Goods

Removal of 07 tariff rates.

Apply not more than one cess or surcharge.

Apply equivalent cess to maintain effective duty incidence on most items and lower cess on certain items.

Sector specific proposals

Make in India- Exemption to open cell for LED/LCD TV, looms for textiles, capital goods for lithium ion battery of mobile phones and EVs.

Promotion of MRO – exemption for 10 years on goods for ship building and ships for breaking, extension of time limit for export of railway goods imported for repairs.

Export promotion – duty free inputs for handicraft and leather sectors.

Trade Facilitation: Time limit fixed for finalisation of provisional assessment; new provision for voluntary declaration of material facts post clearance and duty payment with interest but without penalty; IGCR Rules amended to extend time limit to 1 year and file quarterly statement instead of monthly.

  - घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क समायोजन।
- **निर्यात संवर्धन:** निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मछली उत्पादों और चमड़े पर BCD में कमी।
  - कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई।

राज्यवार पहल

- **बिहार:** नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, मखाना बोर्ड।
- **उत्तर प्रदेश:** मेडिकल कॉलेज विस्तार, जल जीवन मिशन, पर्यटन वृद्धि।
- **महाराष्ट्र:** शहरी चुनौती निधि, गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा मिशन।
- **तमिलनाडु:** जहाज निर्माण क्लस्टर, शहरी चुनौती निधि।
- **गुजरात:** समुद्री विकास निधि, परमाणु ऊर्जा विस्तार।
- **कर्नाटक:** शिक्षा केंद्र के लिए AI, IISc में PM रिसर्च फेलोशिप।
- **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:** जल और स्वच्छता, तेलुगु में डिजिटल पुस्तकें।
- **राजस्थान:** कपास उत्पादकता मिशन, मेडिकल कॉलेज विस्तार।
- **पंजाब और हरियाणा:** दलहन मिशन, किसानों के लिए बढ़ा हुआ ऋण।

- **उत्तर-पूर्व:** असम में नया यूरिया संयंत्र, मत्स्य विकास।

2025-26 में मंत्रालयवार व्यय (करोड़ रुपये में)

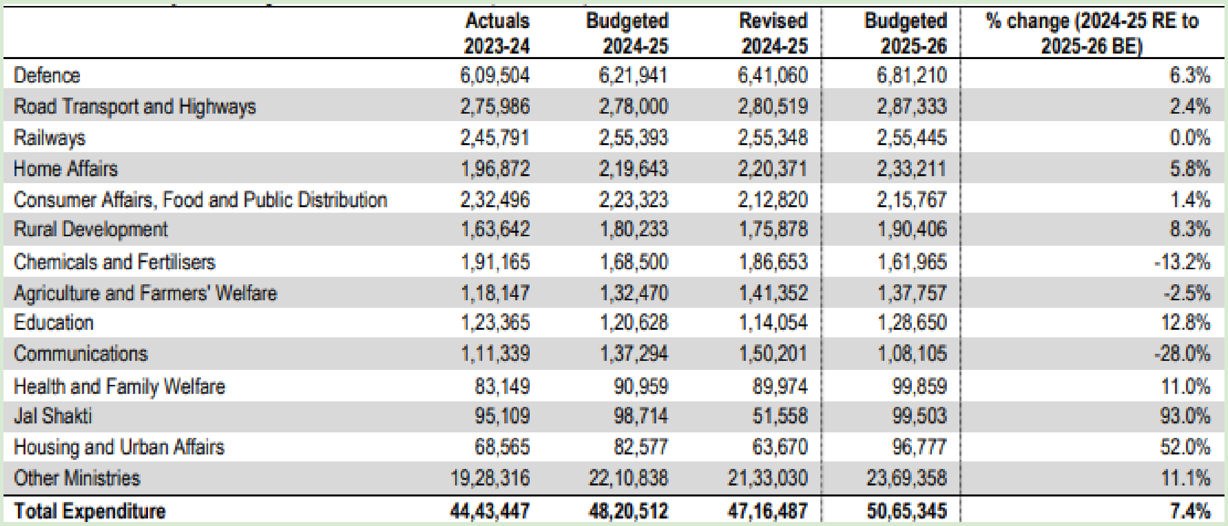

	Actuals 2023-24	Budgeted 2024-25	Revised 2024-25	Budgeted 2025-26	% change (2024-25 RE to 2025-26 BE)
Defence	6,09,504	6,21,941	6,41,060	6,81,210	6.3%
Road Transport and Highways	2,75,986	2,78,000	2,80,519	2,87,333	2.4%
Railways	2,45,791	2,55,393	2,55,348	2,55,445	0.0%
Home Affairs	1,96,872	2,19,643	2,20,371	2,33,211	5.8%
Consumer Affairs, Food and Public Distribution	2,32,496	2,23,323	2,12,820	2,15,767	1.4%
Rural Development	1,63,642	1,80,233	1,75,878	1,90,406	8.3%
Chemicals and Fertilisers	1,91,165	1,68,500	1,86,653	1,61,965	-13.2%
Agriculture and Farmers' Welfare	1,18,147	1,32,470	1,41,352	1,37,757	-2.5%
Education	1,23,365	1,20,628	1,14,054	1,28,650	12.8%
Communications	1,11,339	1,37,294	1,50,201	1,08,105	-28.0%
Health and Family Welfare	83,149	90,959	89,974	99,859	11.0%
Jal Shakti	95,109	98,714	51,558	99,503	93.0%
Housing and Urban Affairs	68,565	82,577	63,670	96,777	52.0%
Other Ministries	19,28,316	22,10,838	21,33,030	23,69,358	11.1%
Total Expenditure	**44,43,447**	**48,20,512**	**47,16,487**	**50,65,345**	**7.4%**

Source ;PIB

दलहन में आत्मनिर्भरता

संदर्भ

- वित्त मंत्री ने दलहन में छह वर्ष के 'आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत की घोषणा की है।

परिचय

- **बजट आवंटन:** 1,000 करोड़ रुपये।
- **उद्देश्य:** उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करना, जिसमें तूर/अरहर (पिजन), उड़द (काला चना) और मसूर (लाल मसूर) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद और कटाई के बाद भंडारण समाधान प्रदान करेगा।
- **भारत का लक्ष्य:** भारत ने 2029 तक देश की दालों की माँग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।
  - हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक लक्ष्य घोषित किया कि भारत 2028-29 तक दालों का आयात बंद कर देगा।

दालों का आयात

- 2023-24 में, आयात वर्ष-दर-वर्ष 84% बढ़कर 4.65 मिलियन टन हो गया, जो छह वर्षों में सबसे अधिक है।
- मूल्य के संदर्भ में, आयात पर देश का व्यय 93% बढ़कर 3.75 बिलियन डॉलर हो गया।
- भारत मुख्य रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान और मलावी से आयात करता है।

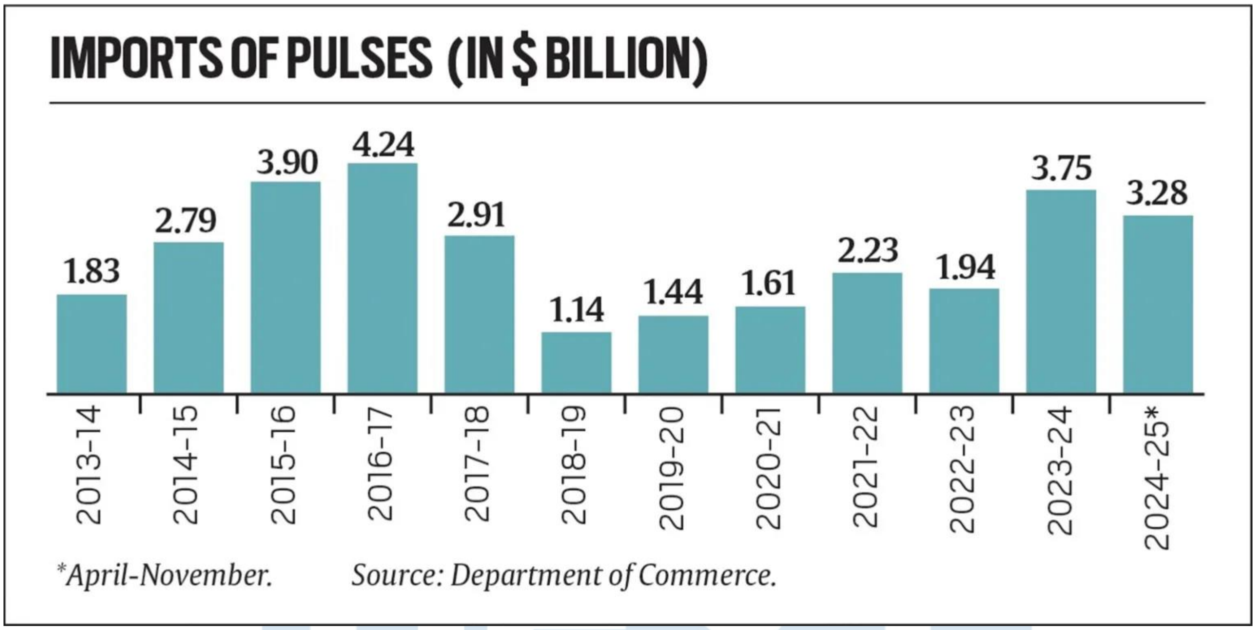

**April-November.* *Source: Department of Commerce.*

भारत में दालों का उत्पादन

- भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व उपभोग का 27%) और आयातक (14%) है।
- खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल में दालों का योगदान लगभग 23% है और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इनका योगदान लगभग 9-10% है।
    - रबी दालों का योगदान कुल उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक है।

Season-wise Major Pulses Crops

Season	Pulses
Kharif	Arhar, Urd, Moong, Lobia, Kulthi and Moth
Rabi	Gram, Lentil, Pea, Lathyrus and Rajma
Spring	Urd, Moong, Lobia

- चना सबसे प्रमुख दाल है जिसकी कुल उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी है, इसके बाद तुअर/अरहर 15 से 20% और उड़द/काली मटर एवं मूंग लगभग 8-10% हैं।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश के शीर्ष तीन दाल उत्पादक राज्य हैं।
- घरेलू दालों का उत्पादन 2013-14 में 192.55 लीटर से बढ़कर 2021-22 में 273.02 लीटर और 2022-23 में 260.58 लीटर हो गया।
    - यह मुख्य रूप से दो फसलों: चना और मूंग के कारण हुआ।

चुनौतियाँ

- **कम उत्पादकता:** दलहन की फसल को इसकी पैदावार की अस्थिरता के कारण पारंपरिक रूप से उपेक्षित फसल माना जाता है।

- **अवशिष्ट फसल:** भारत में दलहन को अवशिष्ट फसल माना जाता है और इसे सीमांत/कम उपजाऊ भूमि में वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिसमें कीट एवं पोषक तत्त्व प्रबंधन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- हरित क्रांति के आगमन के साथ, जिसने बाहरी इनपुट और आधुनिक किस्मों के बीजों का उपयोग करके चावल एवं गेहूँ को बढ़ावा दिया, दलहन को सीमांत भूमि पर खेती को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में गिरावट तथा भूमि क्षरण हुआ।
- **तकनीकी प्रगति का अभाव:** दलहन की किसी भी फसल में कोई तकनीकी सफलता नहीं मिली है।
- **कम लाभकारी:** किसान दलहन को गेहूँ और चावल जैसी अन्य फसलों की तुलना में कम लागत लाभ अनुपात वाला मानते हैं।
    - उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों का उपयोग और अपनाना भी कम है।
- **कटाई के बाद होने वाली हानि:** भंडारण के दौरान अत्यधिक नमी और संगृहित अनाज कीटों, विशेष रूप से दाल बीटल के हमले के कारण कटाई के पश्चात् होने वाली हानि होती हैं।

उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)-दलहन को लागू कर रहा है।
- **अनुसंधान एवं विकास:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) इन फसलों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान कर रही है तथा स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से अनुप्रयुक्त अनुसंधान कर रही है।
- **PM-AASHA:** सरकार किसानों को अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (PPSS) को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना PM-AASHA को लागू करती है।
- तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का (ISOPOM) की एकीकृत योजना 14 प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में प्रारंभ की गई।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत राज्य दलहन विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं।

आगे की राह

- **आदर्श दलहन गांव:** आत्मनिर्भरता हासिल करने की कृषि मंत्रालय की योजना के अनुसार, मौजूदा खरीफ या गर्मियों में बोई जाने वाली फसल से आदर्श दलहन गांव स्थापित किए जाएँगे।
- **परती भूमि का उपयोग:** मंत्रालय दाल की खेती के लिए परती भूमि लाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- **हब:** उच्च उपज वाले बीजों को वितरित करने के लिए 150 हब बनाने की योजना है।
    - इसके साथ ही, कृषि विभाग जलवायु-अनुकूल किस्मों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अनुसंधान विभाग के साथ सहयोग करेगा।

- सरकार को फसल विविधीकरण सुनिश्चित करना होगा और आयात को रोकने के लिए किसानों को विभिन्न किस्मों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना होगा।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

ज्ञान भारतम मिशन

समाचार में

- ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी।

परिचय

- यह भारत की पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण पर केंद्रित एक ऐतिहासिक पहल है।
- मिशन का लक्ष्य एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को कवर करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण और पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- इस पहल के साथ, सरकार 2003 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) को पुनर्जीवित करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो काफी हद तक निष्क्रिय है, और वैश्विक स्तर पर भारत की समृद्ध साहित्यिक एवं बौद्धिक परंपराओं को बढ़ावा दे रही है।
- इस पहल को समायोजित करने के लिए, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के बजट को ₹3.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया है।

मिशन का महत्त्व

- **भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना:** पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर ज्ञान होता है।
  - इनका संरक्षण भारत के ऐतिहासिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में सहायता करता है।
- **भावी पीढ़ियों के लिए डिजिटल पहुँच:** पांडुलिपियाँ प्रायः शारीरिक रूप से क्षय से ग्रस्त होती हैं। डिजिटलीकरण विश्व भर में इन ग्रंथों तक 24/7 पहुँच सुनिश्चित करता है और साथ ही इनके क्षरण को रोकता है।
- **वैश्विक शैक्षणिक प्रभाव:** पांडुलिपियों को अध्ययन के लिए उपलब्ध कराकर, भारत प्राचीन ज्ञान और विद्वत्ता के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

पांडुलिपियों को समझना

- पांडुलिपि कागज, सन्टी छाल या ताड़ के पत्तों जैसी सामग्री पर हस्तलिखित दस्तावेज़ है।
  - पांडुलिपि के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, यह कम से कम 75 वर्ष पुराना होना चाहिए और इसमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य संबंधी मूल्य होना चाहिए।
    - भारत में 80 से अधिक प्राचीन लिपियों में अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियाँ हैं, जिनमें शामिल हैं: ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली, ग्रंथ और शारदा।
  - 75% पांडुलिपियाँ संस्कृत में हैं, जबकि 25% क्षेत्रीय भाषाओं में हैं।

हरी इलायची

संदर्भ

- शोधकर्ताओं ने छह प्रजातियों की पहचान की है जो एलेटेरिया कार्डामोमम (जिसे हरी इलायची के नाम से जाना जाता है) से निकट रूप से संबंधित हैं।

परिचय

- छह में से चार को पहले एक अलग जीनस, अल्पिनिया में रखा गया था, जबकि शेष दो को केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों से हाल ही में पहचाना और वर्णित किया गया है। पुनर्वर्गीकरण के बाद, अब एलेटारिया जीनस में सात प्रजातियाँ हैं, जिनमें एलेटारिया कार्डामोमम शामिल है।
  - ई. एनसल, ई. फ्लोरिबुंडा, ई. इनवोलुक्रेटा और ई. रूफसेंस को पहले एल्पिनिया जीनस में रखा गया था।
  - शेष दो नई प्रजातियाँ हैं, एलेटारिया फेसिफ़ेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफ़ेरा।
- एलेटारिया कार्डामोमम के बीज कैप्सूल से व्यावसायिक हरी इलायची मिलती है।
- जीनस का नाम इस मसाले के पुराने मलयालम नाम, 'एलेटारी' पर आधारित है, जिसका उपयोग 17वीं शताब्दी में हेंड्रिक वैन रीड ने किया था।

इलायची का परिचय

- इलायची केसर और वेनिला के साथ-साथ विश्व के सबसे अनोखे मसालों में से एक है।
- यह अदरक और हल्दी (ज़िंगिबेरेसी) के समान ही वनस्पति कुल से संबंधित है।
- यह विश्व के सबसे पुराने मसालों में से एक है - जिसकी खेती 4000 से अधिक वर्षों से की जा रही है।
- दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को इलायची का मुख्य उद्गम माना जाता है।
  - ग्वाटेमाला विश्व का सबसे बड़ा इलायची उत्पादक है, भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- शीर्ष उत्पादक राज्य: केरल (56.71%), कर्नाटक (35.91%) और तमिलनाडु (7.31%)।

Source: TH

समुद्रयान मिशन

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

परिचय

- 2021 में लॉन्च किया गया यह गहरे समुद्र की खोज करने वाला भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है।
- यह डीप ओशन मिशन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक परियोजना है। इस तकनीक को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - NIOT, MoES के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसने 6000 मीटर की गहराई वाला रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) 'मत्स्य 6000' विकसित किया है।

- इस मिशन का उद्देश्य MATSYA 6000 नामक एक पनडुब्बी में तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई पर भेजना है।
- पनडुब्बी की परिचालन क्षमता 12 घंटे होगी, जिसे आपात स्थिति में 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
- **मिशन के उद्देश्य:**
    - गहरे समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवन का अध्ययन करना।
    - पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के वितरण का पता लगाना, जो तांबे, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों से प्रचुर होते हैं।
    - समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना।
    - गहरे समुद्र में अन्वेषण और अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को विकसित करना, साथ ही जल के अंदर वाहन तथा जल के अंदर रोबोटिक्स विकसित करना।
- अपतटीय-आधारित विलवणीकरण तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तकनीक विकसित करना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और पानी के विलवणीकरण के मार्ग खोजना।
- अब तक, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने गहरे समुद्र में चालक दल के साथ सफल मिशन चलाए हैं।

Source: TOI

वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) का परीक्षण

संदर्भ

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस (VSHORAD) प्रणाली के लगातार तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संचालित किए।

परिचय

- यह उच्च गति, कम ऊँचाई वाले ड्रोन खतरों को लक्षित करता है।
    - परीक्षण ने हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने में VSHORADS की सटीकता की पुष्टि की।
- VSHORAD एक पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- मिसाइल प्रणाली में सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं - सेना, नौसेना और वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है।
- यह मोबाइल संरचनाओं के लिए निकट हवाई रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से ड्रोन और घूमते हुए हथियारों के बढ़ते खतरे में।

Source: TH

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

संदर्भ

- सशस्त्र समूह M23 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आगे बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की आशंका बढ़ गई है।

परिचय: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)

- यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 200 से अधिक जातीय समूहों के साथ अफ्रीका का सबसे अधिक जातीय रूप से विविध देश भी है।
- यह नौ देशों के साथ सीमा साझा करता है: अंगोला, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया, जो पूर्वी अफ्रीका से अटलांटिक महासागर तक फैले हुए हैं।
- किंशासा DRC की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो कांगो नदी के तट पर स्थित है। हालाँकि DRC असाधारण प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जिसमें कोबाल्ट, तांबा और हीरे जैसे खनिज शामिल हैं, साथ ही जलविद्युत क्षमता एवं महत्त्वपूर्ण कृषि योग्य भूमि भी है, फिर भी यह विश्व के पाँच सबसे गरीब देशों में से एक है।
    - DRC ने दशकों तक अस्थिरता का सामना किया है, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों में विद्रोही समूहों से जुड़े गृह युद्ध और संघर्ष सम्मिलित हैं।

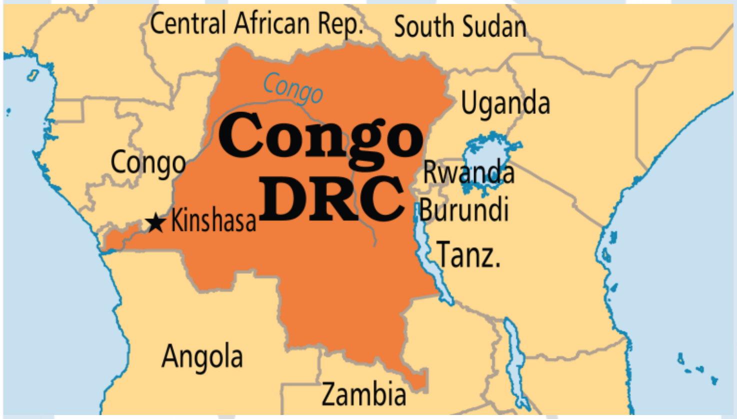
Central African Rep.
South Sudan
Congo
Congo
DRC
Uganda
Congo
Rwanda
★Kinshasa
Burundi
Tanz.
Angola
Zambia

क्या आप जानते हैं?

- M23 का नाम 23 मार्च, 2009 को तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोही समूह और कांगो सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक असफल शांति समझौते के नाम पर रखा गया है।
- यह समूह कांगो के तुत्सी जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है।
- समूह कांगो सरकार पर समझौते को बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाता है, विशेष रूप से कांगो के तुत्सी लोगों को सेना और प्रशासन में शामिल करने के मामले में।
- कांगो और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का आरोप है कि पड़ोसी रवांडा, जो तुत्सी नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा शासित है, M23 का समर्थन कर रहा है।

Source: IE

प्वाइंट निमो

संदर्भ

- भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा संचालित INSV तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा II के तीसरे चरण के दौरान प्वाइंट निमो को सफलतापूर्वक पार कर लिया।

प्वाइंट निमो के बारे में

- दक्षिण प्रशांत में स्थित प्वाइंट निमो, जिसे दुर्गमता के महासागरीय ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थानों में से एक है, जो निकटतम भूभाग से लगभग 2,688 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- अपने अत्यधिक अलगाव के कारण, निकटतम मानव उपस्थिति प्रायः ऊपर की परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर होती है।
- इसके अतिरिक्त, प्वाइंट निमो एक अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है, जहाँ अंतरिक्ष एजेंसियाँ जानबूझकर निष्क्रिय उपग्रहों एवं अंतरिक्ष स्टेशनों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने और समुद्र में गिरने के लिए निर्देशित करती हैं, जिससे जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए जोखिम कम हो जाता है।

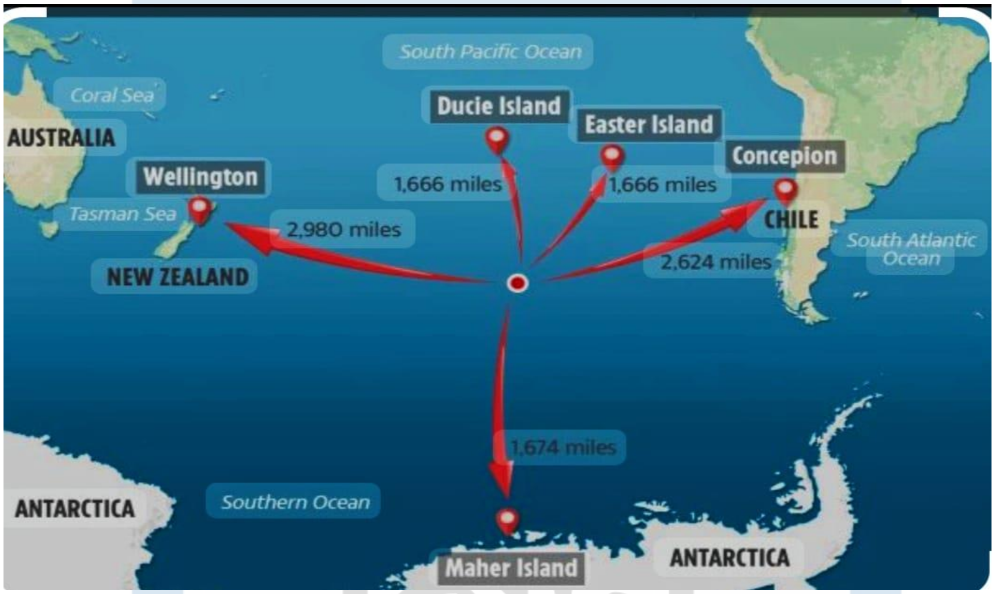
South Pacific Ocean
Coral Sea
AUSTRALIA
Ducie Island
Easter Island
Concepion
Wellington
1,666 miles
1,666 miles
Tasman Sea
2,980 miles
CHILE
South Atlantic Ocean
NEW ZEALAND
2,624 miles
1,674 miles
ANTARCTICA
Southern Ocean
Maher Island
ANTARCTICA

नविका सागर परिक्रमा द्वितीय

- 21,600 समुद्री मील (लगभग 40,000 किमी) से अधिक की दूरी तय करते हुए, यह यात्रा पाँच चरणों में पूरी होगी, जिसमें पुनःपूर्ति और रखरखाव के लिए चार बंदरगाहों पर रुकना शामिल है।
- पाँच चरण हैं:
  - गोवा से फ्रेमैंटल, ऑस्ट्रेलिया
  - फ्रेमंटल से लिटलटन, न्यूज़ीलैंड
  - लिटलटन से पोर्ट स्टेनली, फ़ॉकलैंड
  - पोर्ट स्टेनली से केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका
  - केपटाउन से गोवा तक।

Source: PIB

* * *